प्रेस नोट दिनांक 31/10/21 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री हृदय नारायण सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा आज दिनांक 31/10/21 को **NDPS ACT** के अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया है|

1. उ0नि0 विपिन त्यागी मय उ0नि0 जोनसन कुमार मय हमराही है0का0 343 महेश शर्मा व का0 1374 विकास कुमार व का0 1509 दीपक कुमार द्वारा दो नफर अभि0गण 1.बाबर पुत्र मलखा 2.शमशाद पुत्र मंजूर निवासीगण ग्राम नवाजपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर को 06-06 ग्राम स्मैक नाजायज स्मैक के साथ बाग के पास टिडौली से नवाजपुर रोड से दिनांक 31/10/21 को समय 16.35 बजे गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 457/2021 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम बाबर व मु0अ0सं0 458/2021 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम शमशाद पंजीकृत किया गया है।

अभि0 का नाम व पताः–

1.1 .बाबर पुत्र मलखा निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर

2 .शमशाद पुत्र मंजूर निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगीः

06-06 ग्राम स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 श्री विपिन त्यागी
2. उ0नि0 जोनसन कुमार
3. है0का0 343 महेश शर्मा
4. का0 1374 विकास कुमार
5. का0 1509 दीपक कुमार

अपील

यातायात पुलिस सहारनपुर

जनपद की यातायात पुलिस/नागरिक पुलिस द्वारा ऐसे दो पहिया वाहन जो मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैला रहे थे। इन वाहनो के 221 चालान कर वाहन स्वामियों/चालकों पर करीब 22,10,000 का जुर्माना लगाया गया हैं। अतः जनसाधारण से अपील की जाती है इस प्रकार की कार्यवाही से बचें एवं आप अपने दोपहिया वाहन में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण न करें। मानक के अनुसार ही अपने दोपहिया वाहनों में साइलेंसर लगवायें। चार पहिया वाहन आदि में प्रेशन हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें। ऐसा पाये जाने पर आपके विरूद्व मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार चालानी/सीज की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। सभी दुकानदारों से भी अपील की जाती है कि मोडिफाइड सायलेंसर, प्रेशर हॉर्न की बिक्री न करें। अगर बिक्री करते पाये गये तो आपके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके अतिरिक्त बिना हेलमेट के 461 चालान, बिना सीट बेल्ट के 38 चालान कर 38,000/–रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा दुकानों आदि के सामने नो पार्किंग में 603, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी के 220, तथा गलत दिशा में चलने वाले वाहनों के 181 चालान, एवं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वालों के 45 चालान कर इन वाहनों पर 13,24,500 रू0 का जुर्माना लगाया गया है। आप भी इस कार्यवाही से बचने के लिये यातायात नियमों का पालन कर, यातायात पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें।

–ः प्रेस नोट ः–

आज दिनांकः 31.10.2021 को पुलिस लाइन्स सभागार में श्री आकश तोमर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के दिशा निर्देशन में पेंशनर्स विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुश्री प्रीति यादव, स0पु0अधी0/क्षेत्राधिकारी लाइन्स, सहारनपुर द्वारा पेंशन पर जाने वाले अधि0/कर्म0 को माला पहनाकर तथा प्रशस्ति पत्र एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री किशोर सिहं रोतेला, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स सहारनपुर एवं पुलिस लाइन्स में नियुक्त अधि0/कर्म0 सम्मिलित हुए। पेंशन पर जाने वाले अधि0/कर्म0 का विवरण निम्नवत् है–

1– निरीक्षक परिवहन श्री सुनील कुमार
2– उप निरीक्षक ना0पु0 श्री सन्तोष कुमार
3– उप निरीक्षक ना0पु0 श्री अशोक कुमार
4– उप निरीक्षक ना0पु0 श्री सुरेन्द्र कुमार
5– उप निरीक्षक ना0पु0 श्री ओमपाल सिहं सिरोही
6– फालोवर श्रीमती सुमनलता

-: प्रेस नोट :-

आज दिनांकः 31.10.2021 को लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को **"राष्ट्रीय एकता दिवस"** के रूप में मनाया गया तथा पुलिस लाइन्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री आकाश तोमर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर पुष्पांजली अर्पित की गयी एवं उपस्थित अधि0/कर्म0 को शपथ दिलायी गयी। इस कार्यक्रम में श्री प्रेमचन्द, पुलिस अधीक्षक, यातायात/लाइन्स, श्री राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक, नगर, सुश्री प्रीति यादव, स0पु0अधी0/क्षेत्राधिकारी लाइन्स, श्री अजेन्द्र यादव, क्षेत्राधिकारी सदर, श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, श्री चन्द्रपाल शर्मा, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, श्री तेजवीर सिहं, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रतिसार निरीक्षक, श्री किशोर सिहं रौतेला, प्रतिसार निरीक्षक एवं पुलिस लाइन्स में नियुक्त अधि0/कर्म0 उपस्थित रहे।

-: प्रेस नोट :-

आज दिनांकः 31.10.2021 को स्व0 श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी की पुण्य तिथि को **"राष्ट्रीय संकल्प दिवस"** के रूप में मनाया गया तथा पुलिस लाइन्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री आकाश तोमर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर एवं उपस्थित अधि0/कर्म0 द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण प्रतिज्ञा ली गयी एवं मौन धारण किया गया। इस कार्यक्रम में श्री प्रेमचन्द, पुलिस अधीक्षक, यातायात/लाइन्स, श्री राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक, नगर, सुश्री प्रीति यादव, स0पु0अधी0/क्षेत्राधिकारी लाइन्स, श्री अजेन्द्र यादव, क्षेत्राधिकारी सदर, श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, श्री चन्द्रपाल शर्मा, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, श्री तेजवीर सिहं, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रतिसार निरीक्षक, श्री किशोर सिहं रौतेला, प्रतिसार निरीक्षक एवं पुलिस लाइन्स में नियुक्त अधि0/कर्म0 उपस्थित रहे।

प्रेस नोट दिनांक 31—10—2021

थाना नागल पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 30—10—2021 को थाना नागल पुलिस द्वारा ग्राम साधारणसिर चौराहे के पास से अभि0 भूपेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम पनियाली थाना नागल, सहारनपुर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नागल पर मु0अ0सं0 223/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 30—10—2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा गुढछप्पर रोड़ से अभि0 मुर्सलीन पुत्र इकराम निवासी मौ0 बहुद्दीन कस्बा व थाना गंगोह, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 521/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 30—10—2021 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मवीकला से अभि0 1—नफीस पुत्र यासीन 2—आरिफ पुत्र निसाद निवासीगण ताहरपुर थाना को0देहात, सहारनपुर को 02 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 28,29/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करते समय 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 30—10—2021 को थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा ग्राम तिवाया से अभि0 महबूब पुत्र कय्यूम निवासी तिवाया थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर को सट्टे की खाईबाड़ी करते समय सट्टे की पर्चिया व 770/—रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 290/21 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया।